संख्या–एस0ई0–168 / दस–14–बीमा–2 / 13

प्रेषक,

राम किशोर पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
विकासदीप, 22 स्टेशन रोड,
लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 02 अप्रैल, 2014

विषयः– अनुदान संख्या–66 के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय के लिए वर्ष 2014–15 में प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई तक) के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–795 / दस–2014–231 / 2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के निम्नलिखित विवरण के अनुसार लेखाशीर्ष–''2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनेत्तर–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–105–सरकारी कर्मचारी बीमा योजना–03–कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना'' के अन्तर्गत अधिग्रहण व्यय की विभिन्न मदों में व्यवस्थित धनराशि रू0 255950 हजार (रूपया पच्चीस करोड़ उनसठ लाख पचास हजार मात्र) में से लेखानुदान के अन्तर्गत प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई तक) के व्यय हेतु **रू0 85317 हजार (रूपया आठ करोड़ तिरपन लाख सत्रह हजार मात्र)** की धनराशि उल्लिखित प्रतिबन्धों / निर्देशों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

लेखाशीर्ष–

2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
105–सरकारी कर्मचारी बीमा योजना
03–कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना

धनराशि (हजार रूपये में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये कुल मांग/प्रावधान	वित्तीय वर्ष 2014–15 प्रथम चार माह हेतु जा की जाने वाली धनराशि। (माह अप्रैल से जुलाई तक)
1	2	3
01–वेतन	13532	4511
02–मजदूरी	40	13
03–मंहगाई भत्ता	14209	4736
04–यात्रा व्यय	150	50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100	33
06–अन्य भत्ते	1826	609
07–मानदेय	20	7
08–कार्यालय व्यय	350	117
09–विद्युत देय	500	167
10–जलकर/जल प्रभार	40	13
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	150	50
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	125	42
13–टेलीफोन पर व्यय	150	50
14–मोटर गाड़ियों का क्रय	01	0
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	500	167
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	600	200
17–किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व।	40	13
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	0	0
29–अनुरक्षण	125	42
42–अन्य व्यय (मतदेय)	15	05
(भारित)	01	0
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एंव अन्य प्रासंगिक व्यय	50	17
45–अवकाश यात्रा व्यय	40	13
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफट वेयर का क्रय	100	33
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	200	67
49–चिकित्सा व्यय	1500	500
51–वर्दी व्यय	15	05
योग मतदेय	34378	11460
42–अन्य व्यय भारित	01	0
योग		11460

2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनेत्तर– 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 105–सरकारी कर्मचारी बीमा योजना 05–बीमा निधि में हुई हानि की प्रतिपूर्ति– 42–अन्य व्यय	221572	73857
कुल योग भारित	255950 1	85317 0

(रूपये आठ करोड तिरपन लाख सत्रह हजार मात्र)

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों व नवीनतम शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2004, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाय ताकि अपव्यय को रोका जा सके।

3– मुझे यह भी कहना है कि अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जहॉ भी नियमों के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति आवश्यक हो, धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाय।

5– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–66 के उपरोक्तानुसार अंकित लेखाशीर्षो के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमि संगठनों के नाम डाला जायेगा तथा लेखानुदान एवं तत्संबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(राम किशोर पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या–एस0ई0–168(1)/दस–14, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
4– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6– वित्त (लेखा परीक्षा अनुभाग।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किशोर पाण्डेय)
उप सचिव।